



न्यायालय पानीय राजस्व मण्डल मध्यपदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

III। निगरानी। अष्ट। भृष्ट। २०१७। ३५७२

श्री राम के मामले विनोद घुण वुमारी पुत्री बोमपुकाश,
द्वारा आज दि २८.२.१८ को
प्रस्तुत

कलक ओळ को ४८९।
राजस्व मण्डल मध्य ग्वालियर

१२०१७ - निगरानी

मानीपुरानी ज्ञानीपुरानी ज्ञानीपुरानी

राजस्व मण्डल पट्टी २४३

विनोद घुण वुमारी पुत्री बोमपुकाश,
निवासिन - म २२-ह०८५०, विन्य कार, लकर,

जिला ग्वालियर (म०४०) ।

प्राथिक

रामस वृष्ट पुत्र आशाराम, निवासी ग्राम जारी,
तहाल व जिला मिण्ड-मध्यपदेश ।

प्रतिपादी

निगरानी विराज वादेत अपर वैक्टर महोदय, मिण्ड दिनांक ११-८-१७ अन्तर्गत
धारा ५० मध्यपदेश मू-राजस्व संहिता, १६५६। प्र०३० ३५१४५-४६-निगरानी ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आशाएं कानून सही नहीं हैं ।
- २- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप रूप कानूनी स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है ।
- ३- यह कि, कैंटर महोदय के समदा उभय पक्ष द्वारा राजस्व अभिलेखों में किये गये अंकन के सम्बन्ध में निगरानी स्वीकार किये जाने में सहमति की गई है, यह मानते हुये भी कैंटर महोदय ने निगरानी आवेदन पत्र निरस्त किया है, जो न्यायोचित नहीं है ।
- ४- यह कि, जब प्रकरण के मुख्य विवादित विन्दु का अंतिम रूप से सहमति के आधार पर निराकरण ही सकता है, वब प्रकरण को त्रुटिपूर्ण तकनीकी आधार पर निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है ।
- ५- यह कि, उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर प्रकरण का

प्रतिक्रिया | अग्रिम | २०१७/३५७२

21/7/2017

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
५/३/१४	<p>जावेद जामिनाबद्दु ने लिखा-</p> <p>जवाहीर सिंह जामिनाबद्दु के नाम से लिखा अधिकारिया का प्र ठपालियन छोड़ा तब दिया गया था। मुख्य और उम्मपल्ले के मध्य जापली राजनीति के गए।</p> <p>मत्ता उम्मपल्ले के मध्य राजनीति लेने ले प्रबल लम्बा जा किया जाता है। प्रबल दोषित हिंडा के</p> 	 